

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

APPEAL NO- 174 of 2025

THE COURT OF—सुधांशु सक्सेना, पंचम जिला न्यायाधीश, जिला—सागर (म.प्र.)

Appeal from the decree of the court—पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, जिला सागर, dated the 13 day 11 of 2025 in RCS A-18/2019

This appeal coming on for hearing on the 13 day 12 of 2025 before me in the presence of-

अपीलार्थी द्वारा — श्री राजकुमार लड़िया अधि.। for the appellant

प्रत्यर्थी क्र. 1 — एकपक्षीय।

प्रत्यर्थी क्र. 2 द्वारा — श्री राजू प्रजापति अधि.।

प्रत्यर्थी क्र. 3/शासन द्वारा— श्री रामबाबू रावत अति. शास. अभिभाषक।

for the non appellant

It is Order and decreed that- अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील, भागतः स्वीकार की जाती है और अग्रआशय की आज्ञाप्ति प्रदान की जाती है:—

1— वादी/अपीलार्थी पक्ष वादग्रस्त भूमि मौजा पथरिया हाट प.ह.नं. 78 सर्किल सागर ख.नं. 558/1 परिवर्तित ख.नं. 558/17 रकवा 3.04 हे. में से 1750 वर्गफुट भूमि का भूमि स्वामी, वादी जादवदास है। उक्त स्वत्व की भूमि के संबंध में वादी/अपीलार्थी द्वारा विधिपूर्ण स्वत्वधारी होने के आधार पर विधिसंगत प्रावधानों के अंतर्गत, सक्षम राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से/जिला कलेक्टर सागर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर, अपने स्वत्व की भूमि मौजा पथरिया हाट प.ह.नं. 78 सर्किल सागर 558/1 परिवर्तित ख.नं. 558/17 रकवा 3.04 हे. में से 1750 वर्गफुट भूमि का विधिवत सीमांकन (बटांक के आधार पर) कराया जाकर एवं चतुर्सीमा का स्पष्ट निर्धारण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत, स्वत्व अनुसार वास्तविक भौतिक आधिपत्य/कब्जा, सक्षम राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी है।

2— प्रस्तुत प्रकरण में अधीक्षक भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के माध्यम से अथवा विशेष टीम गठित कर, राजस्व विभाग द्वारा निर्देशित नवीन तकनीकी संसाधनों (GNSS/DGPS Rovers, Survey-Grade Drones, CORS Networks, GIS & Digital Mapping Portals तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित नवीन सीमांकन पद्धतियों के साथ) का प्रयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्पष्ट बटांक निर्मित कर एवं वास्तविक भौतिक चतुर्सीमा को स्पष्ट करते हुए (बटांक के आधार पर) और यदि उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई अविधिक कब्जा अथवा अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे, पृथक करते हुए अपीलार्थी/वादी, अपने स्वत्व की वादग्रस्त भूमि का भौतिक आधिपत्य/कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

3— प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

4— म.प्र. सिविल न्यायालय नियमावली एवं आदेश के नियम 179 व 523 से 535 के अनुसार अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो, देय होगी।

the cost of this appeal,us detailed below amounting to Rupees
are to be paid by the

The Cost of the-----

Given under my hand and the seal of the Court this **20-08-26**

— / सही / —
सुधांशु सक्सेना
पंचम जिला न्यायाधीश
जिला— सागर (म.प्र.)

COST OF APPEAL

Appealants				Non Appealants		
1	Stamp for meemorandom of appeal objection or petitions..	5400/-	---	Stamp for exhbits / आवेदन	---	---
2	Stamp for power	10/-	---	Stamp for power	10/-	---
3	Stamp for exhbits / आवेदन	10/-	---	Stamp for petitions	---	---
4	Service of process	15/-	---	Stamp for process	---	---
5	Pleader's fee on Rs	---	---	Pleader's fee on Rs	---	---
6	Translation fees	---	---	---	---	---
Total		5435/-	---	Total	10/-	---